

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

पीठासीन अधिकारी श्री. विश्वा मिश्र सीमा R.A.S
उपनाम रामलाल बननाम रहस्यगर्भ

आवा ब्राबत:- कं. सं. 88, 89, 100 राज. का. सं. को.

सूचना नम्बर:- 09/18

मितीय दिनांक:- 8.6.2016

वादी की ओर से श्री. विश्वा मिश्र सीमा की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम
मिपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - वादी का वाद

इस कदम से खींचा जाता है कि विवाह शादी का दायर सं. नं.
864/0-11 वीधु वाकें राम गूदीवापन तहसील कोटकासिम से
वादीनी गण का 1/6 भाग से कलकजन कर 1/8 भाग का
इ-इका किया जावे। इसी संयुक्त राजस्व विभाई में समल
रहा है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 8.6.16 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Shiv Mishra
(विश्वा मिश्र सीमा R.A.S)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

वाद के खर्चे